



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक : प.14(107)RSSB/अर्थना/प्रा.शि./अध्यापक/भर्ती/ 2022/ 2493

दिनांक : 09.09.2023

—: अभ्यर्थियों की जानकारी के लिये सामान्य बिन्दू (FAQs) :—

बोर्ड द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/विशेष शिक्षा) सीधी भर्ती-2022 का अंतिम परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्याओं के निवारण हेतु FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किये जा रहे हैं। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का यह संकलन सामान्य मार्गदर्शन, सूचना और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें निहित जानकारी सामान्य प्रकृति की है तथा इसमें शामिल मुद्दे कानूनी या वैधानिक अभिमत, सलाह, विवेचना या प्राधिकार के उपयोग हेतु नहीं है। कृपया अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होने से पूर्व इनका विशेष रूप से अवलोकन करें।

प्रश्न 1. बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से अधिक अंक हैं लेकिन परिणाम में रोल नम्बर प्रदर्शित नहीं है?

उत्तर :- ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा जारी प्रोविजनल, अपात्र सूची का अवलोकन करना चाहिए। इन सूचियों में अभ्यर्थियों के रोल नम्बर के आगे कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है।

प्रश्न 2. बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से अधिक अंक है तथा परीक्षा परिणाम, प्रोविजनल एवं अपात्र सूची तीनों में रोल नम्बर प्रदर्शित नहीं है?

उत्तर :- ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा दस्तावेज जांच एवं किसी बिन्दु विशेष पर निर्णय हेतु लंबित रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से फिलहाल कोई दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड द्वारा दस्तावेज जांच अथवा निहित बिन्दु पर निर्णय होने के उपरान्त चयन सूची अथवा अन्य सूची में शामिल कर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है।

प्रश्न 3. बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Category) की कट ऑफ से अधिक अंक है लेकिन परिणाम में रोल नम्बर प्रदर्शित नहीं है?

उत्तर :- ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापित अनुसार क्षैतिज श्रेणी (परित्यक्ता, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी) की पात्रता निर्धारित दिनांक से पूर्व तक की होनी चाहिए। क्षैतिज श्रेणी में योग्य नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित लम्बवत श्रेणी (Vertical Category) की कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक होने पर ही चयन सूची में शामिल किया जाता है। साथ ही संबंधित क्षैतिज श्रेणी में रीट पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने से चयन से वंचित हो सकते हैं।

प्रश्न 4. बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक है अथवा अभ्यर्थी के प्राप्तांक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक है किन्तु चयन आरक्षित श्रेणी में किया गया है?

उत्तर :- रीट पात्रता परीक्षा-2022, प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अजा एवं अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 की पालना करते हुए अनारक्षित वर्ग हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध परिणाम प्रक्रिया में विचारित नहीं किया गया है।




राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प्रश्न 5. बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में क्षैतिज श्रेणी की कट ऑफ मार्क्स काफी बढ़ी है, इसके क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर :- क्षैतिज श्रेणी में अधिकांश अभ्यर्थी योग्य उपलब्ध नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी परीक्षा परिणाम में 2 गुणा अभ्यर्थियों के स्थान पर 5 गुणा अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। अतः क्षैतिज श्रेणी के 5 गुणा अभ्यर्थियों में से योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार अंतिम चयन करने पर कट ऑफ मार्क्स अन्य श्रेणियों की तुलना में बढ़ जाती है।


(संजय कुमार माथुर)
सचिव